Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 06 /2024

Laxmi Yadav & Ors. .....Appellant

Versus

Vishakha Devi .....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	21.11.2024	**आदेश** प्रस्तुत अपील न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बनमनखी, पूर्णिया द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद सं0–124/2022–23 मे दिनांक–18.11.2023 को पारित आदे" ा के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्ष उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस के साथ संबंधित कागजात दाखिल। सुना। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–हरिपुरमाड़ी मिलिक, थाना–36, खाता–10, खेसरा– 05, रकवा–63 डी0 एवं खेसरा–05, रकवा–07 डी0, कुल रकवा–70 डी0 विवादित भूमि है। खेसरा संख्या–05 का कुल रकवा–3.12 एकड़ तथा खेसरा संख्या–07 का कुल रकवा–86 डी0 है। अपीलार्थी संख्या–01 भू–मालिक के दादा बनवारी यादव है। बनवारी यादव के उत्तराधिकारियों के मध्य स्वत्व वाद संख्या–80/1975 में हुए सुलहनामा के उपरांत सभी पुत्र अपने हिस्से पर दखल काबिज हुए। चकबन्दो कार्रवाई के दरम्यान गलती से प्र" नगत भूमि ि" ावानन्द यादव के नाम से दर्ज हो गई, जिसका सुधार चकबन्दी निदे" ालय, पटना मे दायर अपीलवाद संख्या–765/78–79 में पारित आदे" ा द्वारा किया गया। इस प्रकार स्वत्व वाद संख्या–80/1975 के अनुसार प्राप्त हिस्से की भूमि पर काबिज रहते हुए बिन्दे" वरी यादव द्वारा अपने पुत्र सचिदानन्द यादव, लक्ष्मी यादव एवं दयानन्द यादव की धर्मपत्नी के नाम से दिनांक–17.03.1988 को प्र" नगत जमीन दान कर दी गई तथा प्राप्तकर्त्ता उसके उपरांत नामांतरण कराकर भूमि पर दखलकार हैं। उत्तरवादीगण द्वारा दायर मापी वाद संख्या–70/2022–23 से भी स्पष्ट है कि प्र" नगत जमीन पर उनका दखल कब्जा नहीं है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर भूमि पर हक एवं स्वत्व का निर्धारण किया गया है, जबकि पूर्व में ही स्वत्व वाद संख्या–80/1975 में दोनों पक्षों के हिस्से का निर्धारण किया जा चूका है। साथ हीं चकबंदी वाद संख्या–765/78–79 में तथा चकबंदी निदे" ालय के न्याय निर्णय से परे जाकर आदे" ा पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त प्र" नगत भूमि ि" ावानंद यादव के क्रम" ाः	

Web copy. Not official.

	<u>लगातार</u> 21.11.2024	हिस्से में न रहते हुए भी उनके वारि" ानों द्वारा उत्तरवादी को बिक्री कर देना इनके दूशित मानसिकता को प्रदर्" ित करता है, इनका यह कृत्य पूर्ण रूपेण विधि द्वारा स्थापित नियमों के विरूद्ध है। किसी भी निम्न न्यायालय को चकबन्दी निदे" ालय में पारित आदे" ा का अवहेलना का अधिकार प्राप्त नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा वाद के गुण–अवगुण के विवेचना के बिना भी आदे" ा पारित किया गया है, जो विधिसम्मत नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत अपीलवाद को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदे" ा को निरस्त करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी ओर उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्र" नगत भूमि का क्रय उनके द्वारा खतियानी रैयत स्व0 ि" ावानन्द यादव के पुत्र चन्दे" वरी यादव से दिनांक–16.12.2011 को निबंधित केवाला द्वारा किया गया। क्रय के प" चात उत्तवादी प्र" नगत जमीन पर दखलकार हुई तथा उनके नाम से नामांतरण के उपरांत जमाबंदी संख्या–55 सृजित हुई। उत्तरवादीगण द्वारा क्रय की गई खेसरा–05 की चौहद्दी उत्तर–नीज वाया, दक्षिण–कच्ची सड़क, पूर्व–खेसरा संख्या–05, पि" चम–खसरा 06 तथा खेसरा–07 की चौहद्दी उत्तर–सचिदानंद यादव, दक्षिण–खेसरा–08, पूर्व–कच्ची सड़क, पि" चम–सचिदानन्द यादव है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा स्वत्व वाद संख्या–80/1975 के आधार पर सही आदे" ा पारित किया गया है। उत्तरवादी द्वारा दस दिनों के लिए गाँव से बाहर जाने पर दिनांक–05.03.2023 को अपीलार्थागण द्वारा प्र" नगत जमीन पर अवैध कतिक्रमण कर लिया गया। उक्त अतिक्रमण के विरूद्ध पंचायत भी बुलाई गई, किन्तु अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण हटाने से इन्कार करने पर उत्तरवादी द्वारा निम्न न्यायालय में वाद दायर किया गया। प्रस्तुत अपोलवाद तथ्यों से परे एवं कालबाधित है। निम्न न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सुनकर विधिसम्मत एवं तार्किक आदे" ा पारित किया गया है। उक्त वर्णित स्थिति में उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत कागजात तथा दाखिल दस्तावेजीय साक्ष्य के अवलोकन एवं समीक्षोपरांत से स्पष्ट है कि उक्त मामला पूर्व में पारित स्वत्व वाद संख्या–80/1975 में पारित आदे" ा द्वारा सुलहनामा के आधार पर प्र" नगत भूमि अपीलार्थी के पिता के हिस्से में प्राप्त हुआ, जिसे उनके द्वारा अपन तीनों पुत्रबधु को दान पत्र द्वारा हस्तांतरित कर दिया गया। सभी नामांतरण कराकर दखलकार हुए। निम्न न्यायालय द्वारा उत्तरवादी के दावे के समर्थन में बिना कोई आधार के वाद को स्वीकृत किया गया है, जो इनके क्षेत्राधिकार में नहीं है। यहाँ यह भी उल्लेख करना है कि अंचल अधिकारी द्वारा मापी अभिलेख संख्या–70/22–23 में यह प्रतिवेदित किया गया है कि दोनों भूमि का चौहद्दी समान रहने के कारण मापी नहीं हो सका तथा प्र" नगत भूमि पर उत्तरवादी का दखल नहीं है तथा दखल न रहते हुए उक्त भूमि ि" ावानंद यादव के वारि" ान द्वारा उनके हिस्से में न रहते हुए भी उसे	

Web copy. Not official.

	लगातार 21.11.2024	क्रम" ाः उत्तरवादी को विक्रय कर दिया गया। इससे स्पश्ट है कि उत्तरवादी के बिक्रीकर्त्ता द्वारा स्वत्व वाद के फैसले से परे जाकर गलत तरीके से बिक्री कर दिया, जो पूर्णतः न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार निम्न न्यायालय के आदे" ा को खंडित करते हुए अपीलार्थी के अपील वाद को स्वीकृत किया जाता है। साथ ही प्र" नगत भूमि पर यथा स्थिति बनाये रखने का आदे" ा पारित किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदे" ा की प्रति निम्न न्यायालय को भेजे। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web copy. Not official.

Web copy. Not official.